अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर(छ.ग.)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA BILASPUR (C.G.)

(Established by Chhattisgarh Legislative Asembly Act. No. 07 of 2012)

कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर–रतनपुर मार्ग, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) 495009

E-mail :–phdcell@bilaspuruniversity.ac.in Website:–www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक /504/अका./पी–एच.डी./2023 बिलासपुर, दिनांक 31/08/2023

—/ अधिसूचना /—

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा प्री.पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा DET-2023 (Doctoral Entrance Test) हेतु निम्नांकित विषयों में दिनांक 04/09/2023 से 20/09/2023 तक आनॅलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्रं	विषय (कालम क्रं–01)	बैकलाग सीट संख्या (कालम क्रं–02)				DET-2023 से संबंधित सीट संख्या (कालम क्रं–03)	कुल सीट संख्या (कालम क्रं–04)
		अनु.जाति SC	अनु.ज.जा ST	पिछडा वर्ग OBC	कुल सीट संख्या		
01	कम्प्यूटर विज्ञान	00	01	00	01	17	18
02	सूक्ष्म जीवविज्ञान	00	02	00	02	16	18
03	रसायन शास्त्र	00	07	00	07	40	47
04	अंग्रेजी	00	08	00	08	12	20
05	भूगोल	00	05	00	05	19	24
06	हिन्दी	00	09	00	09	56	65
07	गृहविज्ञान	00	00	00	00	01	01
08	गणित	00	04	02	06	05	11
09	वनस्पति शास्त्र	00	04	00	04	21	25
10	भौतिकी	00	05	00	05	11	16
11	जन्तु विज्ञान	00	00	00	00	29	29
12	वाणिज्य	01	05	00	06	46	52
13	राजनीति शास्त्र	00	06	00	06	71	77
14	समाज शास्त्र	00	17	00	17	29	46
15	इतिहास	00	01	00	01	24	25
16	अर्थशास्त्र	00	00	00	00	07	07
17	शिक्षा	00	00	00	00	32	32
18	विधि	00	00	00	00	12	12
19	पुस्तकालय विज्ञान	00	00	00	00	04	04
कुल सीट संख्या		01	74	02	77	452	529

नियम व शर्तेः–

1. आनॅलाइन आवेदन शुल्क का विवरण :–
   (i) सामान्य वर्ग :– 1500/–
   (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व.(नॉन क्रिमीलेयर) वर्ग:– 1000/–
   (iii) दिव्यांग :– निःशुल्क

2. **प्रवेश श्रेणी :–** प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है।
   (अ) DET श्रेणी :– इस श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जावेगा।
   (ब) DET Exempted श्रेणी :– इस श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से छूट प्राप्त होगी।
3. **प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता–** प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को संबंधित विषय के स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड पांइट के साथ उत्तीर्ण हो। छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमिलेयर)/दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी हेतु उपरोक्त पात्रता 50% अथवा ग्रेड होने पर समतुल्य छूट के साथ होगी। अभ्यर्थी जिन्होंने 19 सितंबर, 1991 से पहले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो (ग्रेस मार्क मार्क नहीं होने चाहिये) हेतु उपरोक्त पात्रता 50% अथवा ग्रेड होने पर समतुल्य छूट के साथ होगी।
4. **प्रवेश परीक्षा से छूट हेतु पात्रता–** संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी जो निम्नानुसार शर्तों को पूर्ण करते हैं, प्रवेश परीक्षा में छूट के लिए पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी DET Exempted श्रेणी के अंतर्गत आयेंगें।
   (अ) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने UGC – CSIR (JRF) परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा NET लेक्चरशीप/CGSET की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा राष्ट्रीय एजेंसी जैसै– ICAR, ICSSR आदि द्वारा आयोजित (JRF) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
   (ब) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2009 अथवा विनियम 2016 के अनुसार एम. फिल की उपाधि प्राप्त की हो।
   (स) ऐसे अभ्यर्थी जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के किसी विभाग या विश्वविद्यालय के किसी संबंद्ध महाविद्यालय में संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं।
   (द) ऐसे अभ्यर्थी जो किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय (उदाहरण के लिए– CSIR द्वारा वित्त पोषित आदि) और अंतराष्ट्रीय संस्थान (उदाहरण के लिए– WHO द्वारा वित्त पोषित आदि) के वैज्ञानिक के रूप में दो वर्ष का कार्यानुभव रखते हैं।
   (इ) ऐसे अभ्यर्थी जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो तथा प्रशासनिक प्रबंधन में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव रखते हों एवं विभागीय शोध समिति के मतानुसार संबंधित शोध विषय के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों।

5- अभ्यर्थी को पात्रतानुसार DET श्रेणी या DET Exempted श्रेणी के चयन का निर्धारण आवेदन के समय स्वयं करना होगा। DET Exempted श्रेणी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी भी DET श्रेणी का चयन कर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक बार श्रेणी चयन की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् श्रेणी में परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा। श्रेणी परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। DET Exempted श्रेणी में आवेदन कर रहें अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें की इस प्रवेश श्रेणी हेतु वे पात्र है अथवा नही।
   अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। दोनों प्रवेश श्रेणी (DET एवं DET Exempte) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को दोनों प्रवेश श्रेणी हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा आवेदन शुल्क भी पृथक–पृथक देय होगा। DET Exempted प्रवेश श्रेणी के अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6. जिन विषयों के स्नातकोत्तर–अंतिम/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न हो गई है तथा परिणाम घोषित नही हुए हैं ऐसे आवेदक भी प्री.पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते है। किन्तु स्नातकोत्तर–अंतिम वर्ष/ अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने के पश्चात ही पात्रतानुसार पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान दिया जा सकेगा। कलाम क्रमांक (2) बैकलाग से संबंधित सीट में प्रदर्शित कर रही है। जबकि कलाम क्रमांक (3) में उल्लेखित सीटें नवीन सीटें है। इन सीटों का छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।
7. परीक्षा की पात्रता निर्धारित करने वाले समस्त आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र आवेदन आमंत्रण के अंतिम तिथि के पूर्व के होने चाहिए। इस तिथि के पश्चात् के दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।
8. DET प्रवेश श्रेणी के अभ्यर्थी से आवेदन के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मंगाए जा रहे हैं। अतः आनॅलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा संबंधी निर्धारित योग्यता रखते है या नही यह स्वयं सुनिश्चित कर लें।
9. किसी विषय में DET श्रेणी या DET Exempted श्रेणी दोनों की सीटों का आबंटन विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. विनियम क्रमांक –13 के प्रावधानानुसार यथासंभव 50%–50% किया जावेगा। किसी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या न होने पर DET श्रेणी या DET Exempted श्रेणी के लिए आबंटित सीटों का परस्पर परिवर्तन किया जा सकेगा। दोनों श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु दोनों श्रेणी में पात्र होगें परन्तु उनका प्रवेश किसी एक श्रेणी में ही होगा।
10. इस अधिसूचना के कालम क्रमांक 03 में उल्लेखित सीटों में छ.ग. राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (नॉन क्रिमीलेयर) वर्ग तथा महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा। जबकि क्रांलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सीटें बैकलॉग की सीटें है जिसे उसी श्रेणी से भरा जावेगा।
11. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को वांछित संख्या उपलब्ध न होने पर प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् उस विशिष्ट श्रेणी के लिये ''विशेष प्रवेश अभियान'' के तहत् DET-2023 (विशेष परीक्षा) का आयोजन किया जायेगा।
12. प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम– DET-2023 हेतु 50% प्रश्न शोध प्रविधि (Research Methodology) से तथा 50% प्रश्न राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जायेंगे। (पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के वेब–पटल में उपलब्ध)
13. प्रवेश परीक्षा पद्धति–

(अ) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के 04 उत्तर विकल्प के रूप में दिये जायेंगे। 04 में से 01 विकल्प का चयन करना होगा।

(ब) ओएमआर आंसरशीट में 04 में से 01 उत्तर पर नीले/काले बॉल पेन से गोला पूर्णतः भरना होगा। एक से अधिक गोले भरने या अधूरे गोले भरने पर उत्तर अमान्य किये जायेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर ओएमआर आंसरशीट पर अंकित नहीं किये गये होंगे उनके लिये शून्य अंक प्रदान किये जायेंगे।

(स) प्रत्येक प्रश्न के एक अंक होंगे।

(द) ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा।

(इ) परीक्षा की समयावधि 02 घंटे की होगी।

(क) ओ.एम.आर. की कार्बन कापी छात्रों को परीक्षा उपरांत अपने साथ ने जानें की अनुमति होगी।

14. प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु अर्हकारी अंक न्यूनतम 50%होगें। आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) तथा निःसक्तजन) के अभ्यर्थी हेतु अर्हकारी अंक न्यूनतम 45%होगें। अर्हकारी अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नही होगी।
15. प्री.पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा के पश्चात् मॉडल आन्सर जारी किये जायेंगे। जिस पर ऑनलाइन दावा आपत्ति हेतु एक नियत अवधि प्रदान किया जायेगा। दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम उत्तर जारी किया जायेगा। जिसके आधार पर परिणाम जारी की जायेगी। जारी किये गये अंतिम उत्तर पर किसी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार या मान्य नहीं किया जायेगा।
16. मॉडल आन्सर पर दावा आपत्ति पश्चात् विषय-विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर यदि कोई प्रश्न निरस्त किये जाते हैं तो ऐसे निरस्त किये गये प्रश्नों के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में अंक प्रदान किये जायेंगे भले ही अभ्यर्थी ने निरस्त किये गये प्रश्न को हल किया हो या नहीं। उत्तरशीट का मूल्यांकन ओएमआर मशीन से किया जायेगा। अतः पुर्नगणना एवं पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा।
17. दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को सहलेखक की सुविधा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी को सहलेखक को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा
18. प्री.पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा (DET-2023) से संबंधित संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालय के वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहे। पृथक से व्यक्तिशः सूचना जारी नहीं किया जायेगा।
19. प्रवेश परीक्षा से संबंधित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी के निर्वचन का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। किसी भी समय प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया स्थगित करने, निरस्त करने एवं शर्तें निहित करने का तथा किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
20. प्रवेश परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम आदि के संबंध में संशोधन/सुधार/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
21. **प्रवेश परीक्षा की तिथि, समय, स्थान एवं प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाईट <u>www.bilaspuruniversity.ac.in</u> पर प्रकाशित की जायेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट का सतत् अवलोकन करते रहें।**
22. DET-2023 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हेतु DET 2023 प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांको का भार 70% तथा साक्षात्कार का भार 30% प्रदान किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के अंक तथा साक्षात्कार के अंक के योग के आधार पर अंतिम चसन सूची जारी की जाएगी। DET Exempted से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन विश्वविद्यालय पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक-42(यथा-संशोधित) एवं विनियम क्रमांक-13(यथा-संशोधित) (वेबपटल पर उपलब्ध) के प्रावधानानुसार विभागीय शोध समिति के द्वारा किया जावेगा।
23. किसी शासकीय अथवा निजी संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ती प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

24. विषयवार संलग्न विभागीय शोध समिति केन्द्र के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न की जावेगी।
25. इस अधिसूचना में कुल सीट संख्या वर्तमान में उपलब्ध मान्य शोध निदेशकों के अनुसार प्रदर्शित की गयी है। जिसमें कमी या वृद्धि आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव